

पत्रांक - 22/50-9-45/2015/658 (12)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

सेवा में,

सभी अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल
सभी सिविल सर्जन-सह-सदस्य सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति

पटना दिनांक - 30/10/15

विषय : जिलों में क्रय/आपूर्ति की जा रही औषधियों की गुणवत्ता जांच के संबंध में ।

प्रसंग:- स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक:- 17(12) दिनांक:- 15/01/2015 एवं पत्रांक:- 740(12) दिनांक:- 05/11/2014

महाशय,

उपर्युक्त प्रारम्भिक पत्रों के संदर्भ में वर्तमान में व्यवस्था यह है कि जब तक BMSICL द्वारा दवाओं का दर निर्धारण नहीं हो जाता है तब तक आप लोगों द्वारा स्थानीय स्तर पर निविदा प्रकाशित कर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना है । उक्त पत्रों की निरंतरता में पुनः राज्य स्वास्थ्य समिति के पत्रांक 6121 दिनांक:-19/09/2015 द्वारा यह भी प्रावधानित किया गया है कि सिविल सर्जन आवश्यकतानुसार अपने कुल आवंटन का 10 प्रतिशत राशि तक प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी/उपाधीक्षक सदर अस्पताल/अनुमंडलीय/रेफरल अस्पताल आदि को उपावंटित कर सकेंगे जो बिहार वित्तीय नियमावली का पालन करते हुए दवाओं का क्रय कर सकेंगे ।

अतः स्पष्ट है कि जिलों में या BMSICL के स्तर से या निविदा निकाल कर या स्थानीय क्रय करके दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना है । इन स्रोतों से जिन दवाओं की आपूर्ति प्राप्त होती है उसकी गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न निदेश दिये जाते हैं:-

1. BMSICL से प्राप्त दवाओं को जिला भंडार में भंडारित करने के उपरान्त उससे वितरित/उपयोग करने के पूर्व संबंधित सिविल सर्जन/अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल संबंधित औषधि निरीक्षक को ससमय सूचित करेंगे । औषधि निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि वे BMSICL द्वारा आपूर्ति की गई दवाओं का Random Sampling करते हुए अपने स्तर से भी उसकी गुणवत्ता जांच हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।
2. स्थानीय निविदा प्रकाशित कर या स्थानीय स्तर पर दवाओं का क्रय किया जाता है तो ऐसे मामलों में उन दवाओं को अपने भंडार में भंडारित करने के उपरान्त उसे वितरण/उपयोग के पूर्व संबंधित सिविल सर्जन/अधीक्षक चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय/रेफरल अस्पताल एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संबंधित औषधि निरीक्षक को सूचित करेंगे । औषधि निरीक्षक का यह दायित्व होगा कि उक्त प्राप्त सभी दवाओं के प्रत्येक बैच के नमूना संग्रहित कर उसके गुणवत्ता जांच हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।
3. उपर्युक्त कार्यों पर होने वाले व्यय का भुगतान दवा क्रय मद में उपलब्ध राशि से अथवा BMSICL द्वारा वहन किया जायेगा । आप सभी से यह अपेक्षा की जाती है कि भंडार में प्राप्त औषधियों का गुणवत्ता जांच औषधि निरीक्षकों के माध्यम से कराना सुनिश्चित किया जाये एवं इस प्रक्रिया का नियमित अनुश्रवण भी किया जाये । प्रत्येक माह किये गये दवाओं का क्रय एवं प्राप्त औषधियों का उपरोक्त पद्धति से गुणवत्ता जांच हुआ है अथवा नहीं इसकी समीक्षा करने के लिए जिला स्तर पर सिविल सर्जन की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति निम्नवत् गठित की जाती है, जो मासिक रूप से इसका अनुश्रवण करेगी :-

9/11/15

जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति :-

- (i) असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी- अध्यक्ष
- (ii) जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति के प्रतिनिधि
- (iii) अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
- (iv) जिला मुख्यालय में स्थित चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के प्रतिनिधि
- (v) प्रमारी चिकित्सा पदाधिकारी, जिला औषधि भण्डार
- (vi) अनुज्ञापन प्राधिकार, औषधि नियंत्रण प्रशासन- सदस्य सचिव
- (vii) जिला स्तर पर पदस्थापित औषधि निरीक्षक
- (viii) जिला कार्यक्रम प्रबंधक - संयोजक

नोट:- अनुज्ञापन प्राधिकार समिति के सदस्य सचिव होंगे जिनका यह दायित्व होगा कि एतद् संबंधी अभिलेखों का संधारण, उपस्थापन एवं तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। जिला कार्यक्रम प्रबंधक समिति के संयोजक होंगे जो मासिक बैठक आयोजित करने संबंधी कार्रवाई करेंगे।

इसी प्रकार प्रमंडल एवं मुख्यालय स्तर पर त्रैमासिक इसका अनुश्रवण किया जायेगा। प्रमंडलीय स्तर एवं मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण समिति की रूप रेखा निम्नवत होगी :-

प्रमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति :-

- (i) क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें - अध्यक्ष
- (ii) प्रमंडल के अधीन सभी सिविल सर्जन
- (iii) प्रमंडल के अधीन सभी अनुज्ञापन प्राधिकारी, औषधि नियंत्रण प्रशासन
- (iv) क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक - संयोजक

नोट:- प्रमंडल मुख्यालय जिला के अनुज्ञापन प्राधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे जिनका यह दायित्व होगा कि एतद् संबंधी अभिलेखों का संधारण, उपस्थापन एवं तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधक समिति के संयोजक होंगे जो त्रैमासिक बैठक आयोजित करने संबंधी कार्रवाई करेंगे।

मुख्यालय स्तर पर अनुश्रवण समिति :-

- (i) सयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना - अध्यक्ष
- (ii) राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना - सदस्य सचिव
- (iii) राज्य स्वास्थ्य समिति के प्रतिनिधि
- (iv) बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम के प्रतिनिधि
- (v) अनुज्ञापन प्राधिकारी, पटना नगर निगम क्षेत्र, पटना - संयोजक

नोट:- राज्य औषधि नियंत्रक समिति के सदस्य सचिव होंगे जिनका यह दायित्व होगा कि एतद् संबंधी अभिलेखों का संधारण, उपस्थापन एवं तत्संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे। अनुज्ञापन प्राधिकार, शहरी, पटना समिति के संयोजक होंगे जो त्रैमासिक बैठक आयोजित करने संबंधी कार्रवाई करेंगे।

विश्वासभाजन

95126

प्रधान सचिव 30/10
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक.....

पटना, दिनांक.....

प्रतिलिपि : सभी औषधि निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अनुज्ञापन प्राधिकारी, औषधि नियंत्रण प्रशासन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

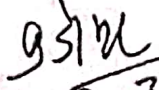
प्रधान सचिव
स्वास्थ्य विभाग

ज्ञापांक 658(12)

पटना, दिनांक 30/10/15

प्रतिलिपि:-

1. सभी असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. राज्य औषधि नियंत्रक, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
5. सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
7. प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना निगम, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव 30/10/15
स्वास्थ्य विभाग